

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०-प्र०-6/विविध -74/2011-

101

/पटना, दिनांक 11.7.16

कार्यालय आदेश

पथ प्रमंडल, बक्सर के अधीन नई बाईपास पथ के कि०मी० 0.00 से 2.20 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन, 104, साची पैलेस, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, पटना के साथ एकरारनामा संख्या-9SBD/2010-11 सम्पन्न किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक 24.05.2011 तक पूरा कर देना था।

2. कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रमंडलीय पत्रांक-1853 दिनांक-24.12.2010 द्वारा कार्य में तेजी लाने के लिए संवेदक (मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन, 104, साची पैलेस, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, पटना) को सूचित किया गया। अधीक्षण अभियंता, भोजपुर अंचल, आरा के पत्रांक-454 दिनांक-26.04.2011 द्वारा भी कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

3. प्रमंडलीय पत्रांक-647 दिनांक-28.05.2011 एवं पत्रांक-704 दिनांक-07.06.2011 द्वारा कार्य में प्रगति नहीं हाने के संबंध में संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसका उत्तर संवेदक द्वारा नहीं दिया गया। फलस्वरूप एस०बी०डी० की कंडिका-3 (a) में निहित प्रावधानों के तहत कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर का कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक-796 दिनांक-04.07.2011 द्वारा एकरारनामा को विखंडित (Rescind) कर दिया गया।

4. पुनः संवेदक द्वारा विभाग में किये गये अपील के साथ समर्पित कार्य योजना और शपथ-पत्र के प्रसंग में विभागीय पत्रांक-4256 (ई०) अनु० दिनांक-16.08.2011 के आलोक में प्रमंडलीय पत्रांक-1125 दिनांक-19.08.2011 द्वारा दिनांक-31.10.2011 तक कार्य को पूरा करने का अवसर दिया गया। इस अवधि में भी संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं कराया जा सका।

5. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के पत्रांक-1862 दिनांक-28.12.2011 द्वारा पुनः कार्य बन्द करने एवं कार्य की प्रगति नहीं होने एवं संवेदक द्वारा समर्पित कार्य योजना के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण संवेदक से कारणपृच्छा की गयी, साथ ही कार्यपालक अभियंता के आदेश-सह-पठित ज्ञापांक-216 दिनांक-12.01.2012 द्वारा संवेदक को निविदा में भाग लेने से वंचित भी किया गया।

कृ०पृ०उ०

6. संवेदक द्वारा दिनांक-18.02.2012 तक मात्र GSB एवं WMM कार्य किया गया। फलतः कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बक्सर के पत्रांक-934 दिनांक-28.03.2012 द्वारा पुनः एकरारनामा को विखंडित (Rsscind) किया गया। संवेदक द्वारा प्रमंडल में 20 जुलाई 2012 तक कार्य समाप्त करने हेतु शपथ-पत्र दिया गया एवं कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-1314 दिनांक-25.5.2012 द्वारा कार्यहित एवं जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकरारनामा को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी।

7. विभागीय पत्रांक-4365 (ई०) दि० 19.07.2012 द्वारा शेष कार्य को शपथ-पत्र में अंकित तिथि तक पूर्ण करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

प्रमंडलीय पत्रांक-2342 दिनांक-17.12.2012 द्वारा एकरारनामा को विखंडित करते हुए उसकी प्रति विशेष दूत द्वारा संवेदक को भेजा गया, जिसे संवेदक द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया। प्रमंडलीय पत्रांक-2358 दिनांक-18.12.2012 द्वारा उनके जमानत की राशि जब्त कर ली गयी एवं प्रमंडलीय पत्रांक-2360 दि० 18.12.2012 द्वारा संवेदक मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन, 104, साची पैलेस, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, पटना को कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गयी।

उक्त कदाचार/ अनियमितता के आलोक में विभागीय पत्रांक-4871 (ई०) दि० 01.08.2013, पत्रांक-6284 (ई०) दि० 28.09.2015, पत्रांक-2157 (ई०) दि० 18.03.2016 द्वारा संवेदक को कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया कि क्यों नहीं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) (ii) के आलोक में मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी-1-249/2009 पथ) के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई की जाय। परन्तु संवेदक द्वारा उक्त विभागीय कारणपृच्छा का उत्तर प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। संवेदक के इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11 -"क"- (ii) एवं कार्यालय आदेश संख्या-154 सहपठित ज्ञापांक-5403 (S) दिनांक-18.06.2015 द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका-8 (1) (a) के प्रावधान के आलोक में मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी-1-249/2009 पथ) को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता, प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

क०पू०उ०

ज्ञापांक- प्र०-६/विधि -७४/२०११-

५६३० (E)

/पटना, दिनांक ११.७.१६

प्रतिलिपि :- मेसर्स प्राची कन्सट्रक्शन, १०४, साची पैलेस, सहदेव महतो मार्ग, बोरिंग रोड, पटना, पिन कोड-८००००१ को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ Lakshmi
११/७/१६

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-६/विधि -७४/२०११-

५६३० (E)

पटना, दिनांक ११.७.१६

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ Lakshmi
११/७/१६

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-६/विधि -७४/२०११-

५६३० (E)

पटना, दिनांक ११.७.१६

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-१, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ Lakshmi
११/७/१६

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-६/विधि -७४/२०११-

५६३० (E)

पटना, दिनांक ११.७.१६

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

✓ Lakshmi
११/७/१६

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

✓ Lakshmi
०८/७/१६